(25)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–शिवपुरी
निगरानी – 6272/2018/शिवपुरी/भू०रा०

अतर सिंह पुत्र श्री मुन्नालाल आदिवासी
निवासी– ग्राम खिसलौनी तहसील
खनियाधाना जिला – शिवपुरी (म.प्र.)
.........आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला –
शिवपुरी म.प्र.
...........अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/2016–17/अ–21 में पारित आदेश दिनांक 14.05.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

मामले के **संक्षिप्त तथ्य :**

1– यहकि, आवदेक अतर सिंह पुत्र मुन्नालाल अदिवासी निवासी ग्राम खिसलौनी तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 4476, 4477 कुल किता 2 रकवा 2.09 है0 में से 1.90 है0 को विक्रय किये जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

2– यहकि, आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/2016–17/अ–21 पर पंजीबद्व कर आदेश दिनांक 14.05.2018 से इस आधार पर निरस्त कर दिया। कि आवेदक द्वारा भूमि विक्रय किये जाने के संबंध में कोई अनुबंध पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये आवेदक एवं उसके परिवार का भरण पोषण का साधन कृषि भूमि है उक्त भूमि भविष्य में भी आवेदक एवं उसके परिवार के जीविकोपार्जन का साधन होगी। अतः आवेदक द्वारा भूमि विक्रय करने की जो कारण दर्शाये गये है, उन्हे भूमि विक्रय करने हेतु पर्याप्त आधार ना पाये जाने से आवेदन निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह वर्तमान

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0, प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक अपील/6272/2018/शिवपुरी/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
14.01.19	अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। प्रत्यर्थी अधिवक्ता शासन की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 11/2016–17/अ–21 में पारित आदेश दिनांक 14.5.18 के विरूद्व यह अपील म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम खिसलौनी तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे कमांक 4476, 4477 कुल किता 2 रकवा 2.09 है0 में से 1.90 है0 विकय किये जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसे प्रकरण कमांक 11/अ–21/2016–17 पर दर्ज कर तहसीलदार तहसील खनियाधाना को बिन्दुबार जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा अपना प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी पिछोर को प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी पिछोर द्वारा अनुशंसा सहित कलेक्टर जिला शिवपुरी को प्रस्तुत किया। कलेक्टर द्वारा विकय की अनुमति का आवेदन दिनांक 14.5.18 को निरस्त कर दिया जिससे दुखित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।	

3–अपीलार्थी अधिवक्ताका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा अपीलार्थी को सूचना व सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है जो आदेश पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के जांच प्रतिवेदन पर विधिवत विचार किये बिना आदेश पारित किया है, जबकि इस प्रकरण में तहसीलदार खनियाधाना द्वारा विधिवत जांच की जाकर अपना प्रतिवेदन दिनांक 19.1.17 को अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के माध्यम से अनुशंसा सहित कलेक्टर जिला शिवुपरी को प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि अपीलार्थी की ग्राम खिसलौनी एवं ग्राम कचनारिया में कुल 2.94 है0 भूमि है जिसमें से वह कुल रकवा 1.90 है0 को विकय करना चाहता है, जिसके पश्चात अपीलार्थी पर ग्राम खिसलौनी में रकवा 0.51 एवं ग्राम कचनारिया में 0.63 है0 इस प्रकार कुल रकवा 1.14 है0 भूमि शेष रहेगी, जिसमें वह अपना एवं परिवार का भरण पोषण कर सकेगा। तर्क में यह भी कहा गया हैं कि इस संबंध में केता जगभान लोधी निवासी ग्राम क्यारा से विकय का सौदा हो गया है जिसमें ब्याने के रूप में एक लाख रूपये प्राप्त कर लिये हैं। उपरोक्त प्रतिवेदन की अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी द्वारा

भी की गई है । इसके बावजूद भी कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा अपीलार्थी का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की गई है। तर्क में यह भी कहा गया है कि कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा अपने आदेश में कहा गया है कि अपीलार्थी द्वारा विक्रय किये जाने के संबंध में कोई अनुबंध नहीं किया है और न ही दस्तावेज प्रस्तुत किया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा अनुबंध की प्रति प्रस्तुत की गई थी। उपरोक्त अनुबंध दस्तावेज एवं शपथपत्र पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है वह विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर भूमि की विक्रय की अनुमति देने का निवेदन किया गया है।

4–शासन के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि कलेक्टर का आदेश उचित एवं सही है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर ज़िला शिवपुरी के समक्ष विक्रय अनुमति आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बताया गया कि ग्राम खिसलौनी तहसील खनियाधाना में स्थित भूमि सर्व्रे कमांक 4476, 4477 कुल किता 2 रकवा 2.09 है0 में से 1.90 है0 को विक्रय करना चाहता है क्यों कि उपरोक्त भूमि कृषि उपयोगी नहीं है, इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के पास ग्राम खिसलौनी में रकवा 0.51, एवं ग्राम

कचनारिया में 0.63 है0 इस प्रकार कुल 1.14 है0 भूमि शेष रहेगी जिससे वह अपना एवं परिवार का भरण पोषण कर सकेगा। प्रकरण में आये तथ्यों से प्रतीत होता है कि तहसीलदार खनियाधाना एवं अनुविभागीय अधिकारी पिछोर द्वारा अनुशंसा प्रतिवेदन वास्तविक जांच पर आधारित होते है ऐसी स्थिति में कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा जो आदेश पारित किया है वह विधि संगत नहीं है। कलेक्टर द्वारा अपने आदेश के पैरा–5 में लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा कोई अनुबंध प्रस्तुत नहीं किया है जबकि अपीलार्थी द्वारा मय शपथ पत्र के अनुबंध प्रस्तुत किया है जिसमें लेख किया गया है कि जगभान सिंह पुत्र बिन्द्रावन लोधी निवासी ग्राम क्यारा से एक लाख रूपये ब्याने के प्राप्त कर लिये गये हैं। अपीलार्थी की शासन से भूमि पटटे पर प्राप्त नहीं है, उसकी पैत्रिक भूमि है जिसे विकय करने में कोई अड़चन नहीं है। अपीलार्थी एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य है इसलिये वह विकय की अनुमति चाहता है, जिससे उसके साथ कोई छलकपट न हो। प्रकरण में आये तथ्यों से यह भी प्रतीत होता है कि कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा तहसीलदार तहसील खनियाधाना एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन अनुशंसा सहित प्राप्त हुये है जिसे अनदेखा कर अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया गया है एवं इसी प्रकार अपीलार्थी द्वारा विकय का अनुबंध किया गया जिस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है, इससे कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.5.18 निरस्त किये जाने योग्य है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला शिवपुरी का प्रकरण कमांक 0011/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 14.5.18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को ग्राम खिसलौनी तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे कमांक 4476, 4477 कुल किता 2 कुल रकवा 2.09 है0 में से 1.90 हैक्टेयर विकय की अनुमति इस इस शर्त के साथ दी जाती है कि केता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा। उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफट/नेट बैकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जावेगी। परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य